

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3363/2007

नथुवा लाल माली पुत्र श्री नंदे राम, ग्राम महु, पोस्ट हरनगर, तहसील मण्डरायल, जिला करौली राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर राजस्थान के माध्यम से।
- उप सचिव खान, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
- खनन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जिला करौली, राजस्थान।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्री केदार सोलंकी,
श्री लोकेश शर्मा के लिए
उत्तरदाता (ओं) के लिए : श्री राहुल लोढा, एजीसी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झांगन
आदेश

03/12/2024

- यह याचिका खनन अभियंता, करौली द्वारा पारित दिनांक 27.06.2006 के नोटिस और पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के दिनांक 31.10.2006 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
- प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता एक सफल बोलीदाता था। 02.11.1988 के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को प्लॉट संख्या 5, गाँव मकनपुर वताडा, तहसील व जिला करौली के पास सैंड स्टोन खनन के लिए पट्टा प्रदान किया गया था। पट्टा दस वर्ष की अवधि अर्थात् 01.04.1989 से 31.03.1999 तक के लिए प्रदान किया गया था। मृत किराया 2,00,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था। 01.04.1994 से 31.03.1999 तक की अवधि के लिए मृत किराया बढ़ाकर 3,41,694/- रुपये कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने राजस्थान लघु खनिज रियायत नियम, 1986 (जिसे आगे '1986 के नियम' कहा जाएगा) के नियम 16(2) के अंतर्गत पट्टा अवधि विस्तार के लिए आवेदन दायर किया। पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद आवेदन के लंबित रहने के दौरान, खनन विभाग द्वारा संबंधित भूमि पर कब्जा ले लिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा दायर

पुनरीक्षण याचिका 06.09.2005 को स्वीकार कर ली गई और मामला 1986 के नियम 16(2) के तहत दायर आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय करने के लिए खनन अभियंता को वापस भेज दिया गया। रिमांड के अनुसरण में, खनन अभियंता द्वारा पंचनामों की प्रतियों को संलग्न करते हुए 27.06.2006 को नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि 15.04.1988 से 29.12.1989 तक के पंचनामों के मद्देनजर, अनधिकृत खनन के लिए 2,14,800/- रुपये की राशि देय थी और 35,87,333/- रुपये का अनिवार्य किराया बकाया था। याचिकाकर्ता को पंद्रह दिनों के भीतर 38,02,133/- रुपये की राशि जमा करने और रसीद पेश करने का निर्देश दिया गया था। व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण याचिका दायर की। 27.06.2006 के नोटिस के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई, इसलिए वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विवादित नोटिस के साथ संलग्न पंचनामा प्रश्नगत भूमि से संबंधित नहीं है और उनमें से एक याचिकाकर्ता को खनन पट्टा दिए जाने से पहले का है।

4. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने न तो जुर्माना राशि जमा की थी और न ही डेड रेंट जमा किया था।

5. याचिकाकर्ता द्वारा पट्टा अवधि बढ़ाने के लिए दायर आवेदन पर पहले विचार नहीं किया गया था और पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित किए जाने पर, 38,02,133/- रुपये जमा करने का नोटिस जारी किया गया था। यद्यपि, पंचनामे की प्रतियाँ नोटिस के साथ संलग्न थीं, लेकिन अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि पंचनामे के आधार पर आदेश पारित करके माँग उत्पन्न की गई थी। नियम 1986 के नियम 16(2) के अंतर्गत दायर आवेदन पर विचार करते समय प्रतिवादियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों द्वारा वसूली जाने वाली माँग को चुनौती देने के अवसर से वंचित कर दिया गया।

6. यह ध्यान रखना उचित होगा कि 1986 के नियम 16(2) के अंतर्गत दायर आवेदन पर, दिनांक 27.06.2006 के नोटिस के अनुसार, केवल तभी विचार किया जाना था जब याचिकाकर्ता पंद्रह दिनों के भीतर देय राशि जमा कर दे।

7. उपरोक्त के मद्देनजर, मामला खनि अभियंता, करौली को वापस भेजा जाता है ताकि वे नियम 1986 के नियम 16(2) के अंतर्गत दायर आवेदन पर नए सिरे से निर्णय ले सकें।

प्रतिवादी जुर्माना लगाने वाले आदेशों की प्रति उपलब्ध कराएगा। यदि कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, तो प्रतिवादी याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. यदि याचिकाकर्ता मांग आदेश या 1986 के नियम 16(2) के तहत दायर आवेदन पर पारित आदेश से व्यथित है, तो वह कानून के अनुसार उपचार प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. तदनुसार रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

10. सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा हो गया है।

(अवनीश झिंगन),जे

सिंपल कुमावत /38

क्या रिपोर्ट योग्य है :हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate